



## उपभोक्ता मामलों के वभाग की वर्षांत-समीक्षा 2022

### प्रलिस के लयि:

उपभोक्ता मामलों का वभाग, मूल्य नगिरानी तंत्र, मूल्य स्थरीकरण कोष, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019

### मेन्स के लयि:

उपभोक्ता मामलों के वभाग की वर्षांत-समीक्षा 2022

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वतरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों के वभाग की वर्षांत-समीक्षा, 2022 जारी की गई है।

## वभाग की प्रमुख उपलब्धयिाँ:

- मूल्य नगिरानी तंत्र को मज़बूत करने की योजना:
  - मूल्य नगिरानी प्रकोष देश के उत्तर, पश्चिम, पूरव, दक्षिण और उत्तर-पूरवी क्षेत्रों का प्रतनिधित्व करने वाले देश भर में फैले 179 बाज़ार केंद्रों से एकत्र कयि गए आँकड़ों के आधार पर चावल, गेहूँ, आटा, चना और दाल आदि सहित 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों की नगिरानी करता है।
  - वर्ष के दौरान 57 मूल्य रपिर्टगि केंद्र जोड़े गए थे। मूल्य रपिर्टगि केंद्रों की संख्या 1 जनवरी, 2021 के 122 से बढ़कर दसंबर 2022 तक 179 हो गई।
- मूल्य स्थरीकरण कोष (PSF):
  - PSF कृषि बागवानी वस्तुओं की खरीद और वतरण के लयि कारयशील पूंजी एवं अन्य आकस्मिक खर्च प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - वर्ष 2022 के दौरान 12.83 लाख मीट्रिक टन (LMT) दालों को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत कृषि सहयोग और कसिान कल्याण वभाग (DACFW) से PSF उपभोक्ता मामलों के वभाग (DoCA) / PSF को खरीद / आयात में स्थानांतरति कयिा गया है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनन योजना:
  - वर्ष 2022 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनन योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दालों के वतरण के लयि पॉइंट ऑफ सेल (PoS) डवाइस के माध्यम से अंतरराज्यीय गतविधि एवं हैंडलगि, उचति मूल्य दुकान डीलर के मार्जनि तथा अतरिकित मार्जनि वतरण पर खर्च की प्रतपूरति के रूप में राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को 35.59 करोड़ रुपए जारी कयि गए।
- उपभोक्ता जागरूकता:
  - DoCA का नया शुभंकर "जागृति" लॉन्च कयिा गया था जसिका उद्देश्य "जागो ग्राहक जागो" नामक अभयान को मज़बूत करना था ताकिसभी उपभोक्ताओं में जागरूकता संबंधी वचिर को सुदृढ़ कयिा जा सके।
- भारतीय मानक ब्यूरो:
  - BIS अधनियम 2016 12 अक्तूबर, 2017 से प्रभाव में आया, इसके बाद गवरनगि काउंसलि का पुनरगठन कयिा गया।
    - 25 नवंबर, 2022 तक लागू मानकों की कुल संख्या 21,833 है।
  - BIS (भारत) अक्तूबर 2020 से अक्तूबर 2023 तक तीन साल के कारयकाल के लयिदक्षिण एशयिाई क्षेत्रीय मानक संगठन (SARSO) तकनीकी प्रबंधन बोर्ड और अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड (BCA) की अध्यक्षता कर रहा है।
  - प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन:
    - BIS 20 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाओं का संचालन करता है, वर्ष 2021-22 में दो और नई योजनाओं अर्थात् व्यावसायिक स्वास्थय एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को प्रमाणन नकियों के लयि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABCB) द्वारा मान्यता दी गई है।
- उपभोक्ता संरक्षण:
  - वशिव उपभोक्ता अधिकार दविस:
    - वशिव उपभोक्ता अधिकार दविस 15 मार्च, 2022 को वजिज्ञान भवन, नई दलिली में मनाया गया।
    - इस आयोजन का वषिय "फेयर डजिटिल फाइनेंस" था।

- **राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का नपिटारा:**
  - **राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ **लोक अदालतों** का आयोजन करता है।
  - DoCA ने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों से लंबित उपभोक्ता मामलों का नपिटान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करने को कहा।
    - इसके परिणामस्वरूप देश भर में लोक अदालत के माध्यम से 12 दिसंबर, 2022 को एक ही दिन में 5,930 मामलों का नपिटारा किया गया।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:**
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत **भ्रामक वजिजापनों की रोकथाम और भ्रामक वजिजापनों के लिये अनुमोदन, 2022** हेतु दशा-नरिदेश अधिसूचि किये गए थे।
  - **ई फाइलिंग:**
    - "**edaakhil.nic.in**" नाम से एक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन आवेदन पोर्टल वकिसति किये गया है, जो उपभोक्ताओं/अधविकताओं को ई-दाखलि पोर्टल के माध्यम से घर से या कहीं से भी अपनी सुवधिनुसार ऑनलाइन शकियायत दर्ज कराने की सुवधि प्रदान करता है।
  - **गलत समीक्षाएँ:**
    - **BIS** ने भारतीय मानक (IS) 19000: 2022 '**ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा- उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिये सिद्धांत और आवश्यकताएँ शीर्षक से रूपरेखा शुरू की।**
      - ये मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएँ प्रकाशति करता है।
      - ये मानक संगठनात्मक दायत्वों को नरिदषिट करकरते हैं जैसे कि अभ्यास की एक संहति का मसौदा तैयार करना और नयिमों एवं शरतों हेतु आवश्यक प्रावधान जैसे- पहुँच, मानदंड, साथ ही यह सुनश्चि करना कि सामगरी में अन्य बातों के अलावा वत्तितिय जानकारी शामिल नहीं है।
- **वधिक माप पद्धति (Legal Metrology):**
  - नयिमों में संशोधन:
    - **वधिक माप पद्धति (पैकेज्ड कमोडिटीज) नयिम, 2011** में संशोधन किये गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योगों को एक वर्ष की अवधि के लिये **क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में कुछ अनविर्य घोषणाएँ करने की अनुमति दी जा सके, यदि पैकेज में प्रदर्शति नहीं किये गया हो।**
      - लाइसेंस का उद्देश्य इस डिजिटल युग में क्यूआर कोड के माध्यम से आवश्यक घोषणा करने के लिये प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की अनुमति देना है, जिसे घोषणाओं को प्रदर्शति करने हेतु स्कैन किये जा सकता है।

**स्रोत: पी.आई.बी.**